जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः 10547 दिनांकः 20.02.2018

//अधिसूचना//

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा–2017 दिनांक 17 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय ने अपनी अधिसूचना क्रमांक शोध/अकादमी/जीविवि/9554 दिनांक 11 सितंबर, 2017 द्वारा पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा–2017 में सम्मिलित होने जा रहे छात्र/छात्राओं को अधिसूचित कर यह अवगत कराया था कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा नवीन पी–एच.डी. अध्यादेश का अनुमोदन होने एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा–2017 में उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें नवीन पी–एच.डी. अध्यादेश के नियमों को मानने के लिये बाध्य होंगे।

विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा नवीन पी–एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 11 का अनुमोदन कर लागू कर दिया गया है। पी–एच.डी.अध्यादेश क्रमांक–11 में दिये गये प्रावधान अनुसार 'साक्षात्कार में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों को प्रस्तावित मार्गदर्शक/सह–मार्गदर्शक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No objection letter) लाना अनिवार्य है।'

अतः साक्षात्कार में सम्मिलित होने जा रहे समस्त अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रस्तावित मार्गदर्शक/सह–मार्गदर्शक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No objection letter) लेकर ही साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि एवं स्थान पर समय पर उपस्थित हों। विषयवार साक्षात्कार की अधिसूचना दिनांक एवं समय सहित पूर्व में ही विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जा चुकी है, जो कि विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार के समय अभ्यार्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार उन्हें मार्गदर्शक/सह–मार्गदर्शक का आबंटन नहीं किया जा सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यार्थी की होगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अध्यक्ष, प्रवेश समिति 2017–18, जी0वि0वि0, ग्वालियर
2–समस्त अध्यक्ष/सदस्य, आर.ए.सी. (संबंधित विषय), जी0वि0वि0, ग्वालियर
3–कुलपति के सचिव, जी0वि0वि0, ग्वालियर
4–कुलसचिव के गोपनीय सहायक, जी0वि0वि0, ग्वालियर
5–उप–कुलसचिव (अकादमी), जी0वि0वि0, ग्वालियर
6–श्री संजय बरतरिया, जी0वि0वि0, ग्वालियर

उप–कुलसचिव (अकादमी)